

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर १ हाल केम्प उज्जैन के समक्ष १

शुक्रवार क्रमांक :

12015

512-II-15

(12)

श्री सुनील चौरा
जयराज सिंघान 26.2.15
अप कार्यालय 30/6/15
यजुषी
26.2.15

1. दिनेश आत्मज स्व. जयरामजी आयु 42 वर्ष
धंधा - खेती
2. सुरेश आत्मज स्व. जयरामजी कश्यप आयु 36 वर्ष
धंधा - खेती दोनो कृषक सर्वे नं. 265 एवं
266/1 स्थित ग्राम बिंगलेश्वर जिला व
तहसील उज्जैन द्वारा - मुखत्यार आम -
कैलाश आत्मज स्व. जयरामजी कश्यप आयु 45 वर्ष
धंधा - खेती हाल निवासी - सर्वे नं. 265 एवं
266 /1 ग्राम बिंगलेश्वर तहसील व जिला उज्जैन

--- आवेदक

बिरुद्ध

1. श्रीमती सुमन चौकसे बत्नी बिनोद चौकसे
आयु - लगभग 60 साल सेवा निवृत्त
2. बिनोद चौकसे पिता मन्नुलाल चौकसे आयु
60 वर्ष धंधा - व्यापार दोनो निवासी गण
सत्यम बिहार ई. एस. आई. केम्पस नंदानगर
मं.नं. 40 इन्दौर
3. भैरूलाल पिता रामाजी आयु 50 वर्ष
धंधा - मजदूरी निवासी - 19 खातीपुरा
इंदौर ---अनावेदक गण

माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसील उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक
9-2-15 सामूहिक शुक्रवार क्रमांक 9-10अ -6 /12-13 नामांतरण से दुखी
व प्रभावित होकर रिबीजन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण कीओर से सविनय रिबीजन का स्मृति लेख

अंदर अवधि प्रस्तुत है :-

शुक्रवार का संक्षिप्त विवरण

यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालयके सम्मुख अनावेदक क्रमांक 1 के नाम
से अनावेदक क्र. 2 ने तथा कथित कूट विक्रय लेख के आधार पर तात्कालिक

5/1/15 2/2/16

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R

512/II 115

जिला -

SJS

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.0.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <u>वृत्तीयार</u> के प्रकरण क्रमांक <u>9/10-3-6/12-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>9-2-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>कलेक्टर उज्जैन</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>15-10-18</u> को <u>कलेक्टर उज्जैन</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p>(महेश/बन्द्र चौधरी) सदस्य</p>